क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1417 / 2015 / 5 दिनांकः 03.11.2015

12583

श्री राजेश भसीन,
247, गाविन्द खण्ड,
विश्वकर्मा नगर,
नई दिल्ली–110095.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)उ0 / उ0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री राजेश भसीन के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 17–08–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 03.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री राजेश भसीन उपस्थित हुए एवं श्री राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)– I, शाहदरा, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 21.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 17.08.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि उत्तर सही नहीं है । सहायक जनसूचना अधिकारीं को निर्देश दिया जाता है कि पहले दिए गए जवाब की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को अभी प्रदान की जाए एवं इस आदेश के पारित होने के दस दिन के अन्दर अपीलकर्ता को नवीनतम सूचना प्रदान की जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री राजेश भसीन, 247, गाविन्द खण्ड, विश्वकर्मा नगर, नई दिल्ली–110095.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) उ0 / उ0प0 DDR H/NE
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)– I, शाहदरा ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

5883 16-11-15